


FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर
उनवान अरबाज बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट नम्बर 15/318/2022 दा0दि0 20.12.2022

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.02.2023	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में थानाधिकारी खेरली की रिपोर्ट प्राप्त है। शा0मि0 की गयी। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। थानाधिकारी ने अपने पत्रांक 228 दिनांक 22.01.2023 के द्वारा रिपोर्ट में निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 नम्बर एच.आर. 55ए. बी. 0616 को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो को कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 नम्बर एच.आर. 55ए.बी. 0616 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र/-) तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें, तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तों पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रार्थी वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा।2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। <p>पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा पूर्व से नियत दिनांक 21.02.2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	

